पत्रांकः— आ0सं0 / सामान्य / 2021-22/ 37 / वाणिज्यकर,

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश
(एडी0कमि0 लेखा कैम्प)
दिनांक::: लखनऊ :::: 09 जुलाई, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर।
अपर निदेशक (प्रशि0 संस्थान), गोमतीनगर, लखनऊ।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (सर्वो0न्या0कार्य), गाजियाबाद।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य) प्रयागराज।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य) लखनऊ।

विषयः— नयी पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवा काल में मृत्यु की दशा में देय देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–आ0सं0 / सामान्य / 2021–22 / 19 दिनांक 01.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 09–07–2021 को वर्चुअल समीक्षा बैठक में कमिश्नर महोदय से प्राप्त निर्देश के क्रम में पुनः स्थिति स्पष्ट की जा रही है–

1– एन0पी0एस0 से आच्छादित प्रकरणों में मृतक कार्मिक के आश्रितों को यह विकल्प प्राप्त है कि वह एन0पी0एस0 में जमा धनराशि को सरेण्डर कर दे तथा उसके स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली के अंर्तगत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करे। इस हेतु कार्यवाही डी0डी0ओ0 के माध्यम से कोषागार से पूर्ण करायें।

2– यदि आश्रित एन0पी0एस0 के तहत जमा धनराशि को प्राप्त करना चाहता है तो डी0डी0ओ0 के माध्यम से कोषागार से सम्पर्क करके जमा धनराशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त तथा 40 प्रतिशत एन्युटी के रूप में देय होगा।

3– एन0पी0एस0 के प्रकरण में डेथ ग्रेज्युटी भी देय होगा। सामूहिक बीमा, अर्जित अवकाश नकदीकरण तथा देय अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ भी देय होगा।

4– एन0पी0एस0 से भिन्न (01.04.2005 के पूर्व नियुक्त) प्रकरणों में जी0पी0एफ0, जी0आई0एस0, नकदीकरण, पेंशन, ग्रेज्युटी, अनुकम्पा नियुक्ति लिंक इन्श्योरेन्स के लाभ देय होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा)वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0प0संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कमिश्नर कैम्प) वाणिज्य कर मुख्यालय।
2– ज्वाइन्ट कमिश्नर आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर (लेखा)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।